राज्य स्तरीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र , पिछड़ा वर्ग, भोपाल

मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग के प्रतिभागियों को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षाओं की पूर्व तैयारी के प्रशिक्षण के उद्देश्य से 06 नवबर, 1987 को इस केन्द्र की स्थापना की गई। प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रतिवर्ष राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु छः माह की अवधि का प्रशिक्षण कार्यक्रमो तथा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु ढाई माह की अवधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित संचालित किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमो में राज्य के पिछड़ा वर्ग के ऐसे प्रतिभागी जो कि उक्त परीक्षाओं हेतु आवश्यक न्यूनतम अर्हताधारी हो तथा जिनके परिवार की वार्षिक आय क्रीमीलेयर की निर्धारित सीमा से कम हो, सिमलित हो सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रञ्म से संबंधित विज्ञापन "रोजगार और निर्माण" एवं स्थानीय प्रमुख समाचार पत्रों में यथा समय प्रकाशित किया जाता है। (आवेदन पत्र का प्ररूप परिशिष्ट-तीन पर संलग्र है) प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु केन्द्र में 100 (80 स्थान छात्रावासी एवं 20 स्थान स्थानीय गैर छात्रावासी) स्थान स्वीकृत है। प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रतिभागियों का चयन मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा गठित चयन समिति द्वारा संकायवार मेरिट के आधार पर किया जाता है। चयनित प्रतिभागियों को निःशुल्क छात्रावास सुविधा निःशुल्क पुस्तकालय सुविधा प्रदान की जाती है एवं सपूर्ण प्रशिक्षण अवधि में शासन द्वारा निर्धारित रुपये 250/- प्रतिमाह की दर से शिष्यवृत्ति प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रञ्म में विभिन्न महाविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थाओं के अनुभवी एवं विषय विशेषज्ञों द्वार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

छात्रवृत्ति का उद्देश्य
म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की पूर्व तैयारी के लिए पिछड़ा वर्ग के प्रतियोगियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु|

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र
योजना व्यक्ति मूलक है। पुरुष प्रशिक्षणार्थियों को आवास की सुविधा प्रदान की जाती है। वर्तमान में महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवास सुविधा उपलध नहीं है। केन्द्र में 100 सीट्स स्वीकृत (80आवासीय एवं 20 गैर आवासीय) है। चयनित उमीदवारों को प्रशिक्षण अवधि में रुपये 250 प्रतिमाह की दर से शिष्यवृत्ति प्रदान की जाती है। योजना का कार्यक्षेत्र सपूर्ण मध्यप्रदेश है।

पात्र हितग्राही
मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग के स्नातक जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय क्रीमीलेयर की निर्धारित सीमा से अधिक न हो।

हितग्राही चयन प्रक्रिया
समाचार-पत्रों में विज्ञापन द्वारा आवेदन पत्रों का आमंत्रण, इसके उपरांत आयुक्त/ संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, म.प्र. द्वारा गठित समिति द्वारा संकाय वार मेरिट के आधार पर चयन किया जाता है।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया
विभिन्न महाविद्यालयों के अनुभवी और विशेषज्ञ अतिथि व्या ƒ याताओं द्वारा संबंधित विषयों के पाठ्यक्रमो का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण कीअवधिः-

- प्रारंभिक परीक्षा हेतु - 6 माह
- मुख्य परीक्षा हेतु - 2½ माह

स्वीकृतकर्ता अधिकारी
प्राचार्य/संचालक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र , भदभदा रोड, भोपाल।

संपर्क
प्राचार्य/संचालक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र , भदभदा रोड, भोपाल।

आवेदन पत्र का प्रारूप